



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024
E-mail: fccr, fccr-1 to fccr-205, fcc, govindrajiv@nic.nic.in

पत्र सं०-8वीं/यू.पी./06/40/2017/एफ.सी.॥११५

दिनांक: 27.01.2021
28

सेवा में
विशेष राधिका(वन),
बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Others/13877/2015

विषय: कार्यालयीन स्वीकृति (Ex. Post facto) के अंतर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-राया मधुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 26.320 ग्राम विसावली के खसरा सं०-537 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा निकसित किए जा रहे 18टेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075012 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवाणिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सम्बन्ध: विशेष सविब(एम), उत्तर प्रदेश का पत्रांक-2612/81-2-2020-800(58)/2016, दिनांक-11.01.2021.

महोदय,
उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का कृपया संज्ञान लें। इस संबंध में मुझे आपको अवगत कराना है कि अपर जिलाधिकारी अलीगढ़ के पत्र दिनांक 12.11.2020 द्वारा इस कार्यालय के सगंध्यक पत्र दिनांक 23.09.2020 के परिपेक्ष्य में यह सूचित किया गया है कि प्रभागीय निदेशक सा0वा0प्रभाग अलीगढ़ के पत्रांक 14.12.2015 में उल्लिखित किया गया है कि नोडल अधिकारी, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 22.08.2015 द्वारा प्रशस्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है, उक्त पत्र की प्रतिलिपि कृपया इस कार्यालय को उपलब्ध कराएँ। नोडल अधिकारी द्वारा निजी पेट्रोल कंपनियों को सम्पर्क मार्ग हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है (जैसा कि प्रभागीय निदेशक अलीगढ़ के पत्र दिनांक 14.12.2015 द्वारा सूचित किया गया है) क्या राज्य सरकार उक्त स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम है? यदि हाँ तो राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को क्या स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया गया है? यहाँ यह स्पष्ट करना है कि FCA Guideline के अनुरूप निजी पेट्रोल कंपनियों को स्वीकृति करने हेतु राज्य सरकार को कभी भी अधिकृत नहीं किया गया था। यह वन संरक्षण अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। कृपया दोषी अधिकारियों के विरुद्ध FCA के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु स्पष्ट अनुशंसा सहित रिपोर्ट प्रेषित करें।

TC
K
Kufnodal
A.
01/01/21

भवदीया,
—
(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रायः देखा जा रहा है कि अलीगढ़ वन प्रभाग से FCA उल्लंघन उपरान्त Ex Post approval हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं जो कि कदाचित ठीक नहीं है। कृपया इसकी जाँच कराकर आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़, उ०प्र०।
4. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
5. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए-5, सं०-3, नोएडा।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

27/01/2021
(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

आ0का0कर
वन संरक्षक
31/2/21

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक-1879/11सी-FP/UP/Others/13877/2015, दिनांक, लखनऊ, फरवरी 03, 2021

- प्रतिलिपि- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0 ए-5, सं०-3, नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालय वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़
इन्डेक्स सं०. 1872/14-1
दिनांक...../02/2021
Lt. ST Page No.929

कार्यालय
वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ 10/02/2021
पत्रांक 1572/14-1 दिनांक
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ

प्रतिलिपि: - प्रभागीय निदेशक सा०वा०प्रभाग अलीगढ़
को उपरोक्त पत्र आख्या/सूचना तत्काल ही कार्यालय में उपलब्ध कराएँ।
वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़